न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 66/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– द्वारकाराम पुत्र नगाराम जाति सुनार निवासी दानजी की होदी, बाडमेर 2– नेमाराम पुत्र नगाराम जाति सुनार नि0विशाला के विधिक वारिसान– 2.1–कमलेश पुत्र नेमाराम 2.2–शांतिदेवी बेवा नेमाराम जातियान सुनार निवासीगण विशाला तहसील बाडमेर		1– सरपंच ग्राम पंचायत विशाला 2– वेदाराम पुत्र नगाराम जाति सुनार निवासी सरदारपुरा बाडमेर 3– अजीतीदेवी पुत्री नगाराम पत्नी माणकलाल जाति सुनार निवासी विशाला तहसील बाडमेर 4– पांचीदेवी पुत्री नगाराम पत्नी सुखदेव निवासी सुनार निवासी रोहिचाकलां तहसील लूंनी, जिला जोधपुर 5– अणदाराम पुत्र पूनमाराम 6– रतनाराम पुत्र अणदाराम 7– चूनाराम पुत्र अणदाराम 8– केशाराम पुत्र अणदाराम जातियान सुथार सभी निवासीगण विशाला तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2012 अनवान द्वारकाराम बनाम ग्राम पंचायत विशाला वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– सुश्री शीतल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री वी.आर.चोधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 से 8 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 23–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष ग्राम विशाला के नामांतरकरण संख्या 324 जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 5 से 8 के पक्ष मे रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत विशाला द्वारा दिनांक 8–1–1973 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–5–2016 के द्वारा खारीज कर दी । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध विलंब से अपील प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उक्त अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है । इस

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील उजर एतराज दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 गण को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भी तलब किया, जो प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को लोक अदालत के नोटिस जारी किये बिना तथा सूचना दिये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत मे रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांटगण को समय पर नही होने से अपील प्रस्तुत करने मे विलंब हुआ है तथा यह भी कथन किया कि ऐसे एकतरफा तथा विधिविरूद्ध पारित आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तामिली मे चल रही थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार –2016 मे ग्राम पंचायत विशाला आगोर मे रखने की सूचना अपीलांटगण को दिये बिना तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही है तथा यह भी कथन किया कि यदि अपील क्षेत्राधिकार मे नही थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को प्रांरभिक स्तर पर ही अपील खारीज कर दी जानी चाहिये थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे दिया गया विवेचन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 324 मे वर्णित भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की थी इसलिए रेस्पो0संख्या 2 वेदाराम जो कि संयुक्त खातेदार था उसे अकेले को सम्पूर्ण भूमि को बेचान का कोई अधिकार नही था, वह केवल अपने हिस्से तक की भूमि का ही बेचान कर सकता था इसलिए उक्त बेचान ही विधिविरूद्ध था तथा उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन भी त्रुटिपूर्ण होने से उक्त

म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 324 स्वीकृति के समय अपीलांटगण अवयस्क थे तथा उनकी विधिक संरक्षिका कुदरती माता हउवा देवी थी तथा कुदरती वलिया के जीवित रहते रेस्पो0 संख्या 2 भाई वेदाराम को समस्त भूमि के बेचान करने का कोई अधिकार नही था तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया इसलिए नामांतरकरण के संबंध मे स्थापित राजस्व नियमो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन स्वीकृति की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी इसलिए उक्त म्युटेशन को तहसीलदार को प्रेषित कर देना चाहिये था परंतु ऐसा नही कर समय सीमा के पश्चात भी ग्राम पंचायत ने जो म्युटेशन स्वीकृत किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा नामांतरकरण संख्या 324 पर ग्राम पंचायत विशाला द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपीलाधीन भूमि मे उनके हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23—5—2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण संख्या 5 से 8 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23—5—2016 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांटगण को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे किये गये बेचान की जानकारी प्रारंभ से ही थी तथा कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपीलांटगण की ओर सहायक कलेक्टर बाडमेर के समक्ष खातेदारी घोषणा का एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसमे भी उक्त बेचान को विधिविरूद्ध बताते हुए स्वयं को उक्त अपील का खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण को बेदखल करने का निवेदन किया था अपीलांटगण का उक्त वाद बाद सुनवाई के निर्णय दिनाक 19—6—82 पारित कर खारीज कर दिया था जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी प्रथम जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जिसमे वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण ही पक्षकार थे उक्त अपील भी विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय दिनांक 27—9—89 के द्वारा साथ खारीज हो चुकी है ।

रेस्पो0 संख्या 5 से 8 के अधिवक्ता ने कथन किया कि जब नियमित वाद की कार्यवाही मे भी अपीलांटगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सके तो

प्रति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अपीलांटगण को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नही हो सकते है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पंजीकृत विकय विलेख के जरिये विधिवत खरीद की थी तथा उक्त पंजीकृत विकय विलेख को किसी सक्षम न्यायालय से अब तक निरस्त नही करवाया है तथा बेचान दस्तावेज आज भी अस्तित्व मे है इसलिए उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर वर्ष 1973 मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । रेस्पो0 संख्या 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज की छायाप्रति तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी प्रथम जोधपुर के निर्णय दिनांक 27–9–89 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–5–2016, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 324 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड का भी गहनता से अध्ययन किया । वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 4–4–2018 को लगभग 22–23 माह विलंब से धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है, अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है कि अपीलांट को नोटिस दिये बिना पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प विशाला आगोर मे रखते हुए निर्णय पारित कर दिया इसलिए इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओ का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि पत्रावली बहस मे चल रही थी तथा अपीलांट की ओर से अधिवक्ता नियमित पेशियों पर उपस्थित हो रहे थे दिनांक 17–2–16 की आदेशिका मे आगामी पेशी बहस हेतु दिनांक 25–4–2016 को रखी गई तथा आदेशिका दिनांक 25–4–16 के जरिये पत्रावली को लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय विशाला आगोर मे दिनांक 23–5–16 को रखे जाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली का निर्णय केम्प मे गुणावगुण पर पारित किया है । धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलांटगण यदि केम्प में उपस्थित नही आये तो उन्हे अपने प्रकरण की जानकारी नियमित कोर्ट से प्राप्त कर केम्प मे पारित किये गये

अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध समय सीमा मे इस न्यायालय मे अपील पेश करनी चाहिये थी परंतु इसके संबंध मे किये गये प्रयास एवं जानकारी के बारे मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई उल्लेख नही किया है ।

इसके अलावा प्रकरण के गुणावगुण पर भी परीक्षण किया जाये तो बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि जब अपीलांटगण ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपने खातेदारो अधिकारो की घोषणा के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय मे नियमित वाद इन्ही पक्षकारो के बीच प्रस्तुत किया था जो वाद बाद सुनवाई के निर्णय दिनांक 19–6–82 के द्वारा खारीज हो चुका था जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी प्रथम जोधपुर के समक्ष अपील पेश की थी जो अपील भी विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय दिनांक 27–9–89 के द्वारा साथ खारीज हो चुकी है । पंजीयन विलेख आज भी अस्तित्व मे है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर प्रतिबाधित नही किया गया है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अत्यन्त प्रासंगिक है, जिनमे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दौरान वादी की उपस्थिति दर्ज है, ऐसे मे अपीलांट का कथन कि उनकी जानकारी मे प्रकरण नही था, घोर असत्य के अतिरिक्त कुछ नही । ऐसे मे अपीलांटगण को इस म्युटेशन की अपील के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 23–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर